

## oldial(a)

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1122]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938

No. 1122]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 2016

का.आ. 1690(अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्-द्वारा न्यूजिप्टंट नियंत्रण आदेश, 2004 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, नामत् :-

- (1) यह आदेश न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 कहा जायेगा ।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में, अनुसूची में मिल के नाम एवं स्थान से संबंधित मद 4 में क्र. सं. 122 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां जोडी जाएंगी, नामत:-

''123. मैसर्स कत्यायिनी पेपर मिल्स प्रा. लि., कुदैवाला, काशीपुर, उद्यमसिंह नगर-244713, उत्तराखंड''।

[फा. सं. 4(3)2015-कागज] शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 के सां.आ. 1105 (अ) के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और दिनांक 9 फरवरी, 2016 के सां. आ. 447 (अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(Paper Section)

## **ORDER**

New Delhi, the 9th May, 2016

- **S.O.** 1690(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely:-
  - 1. (1) This order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2016.
    - (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule, in item 4 relating to the name of the mill and location, after S.No. 122, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—
- "123. M/s. Katyayini Paper Mills Pvt. Limited, Kudaiawala, Kashipur,, Udham Singh Nagar-244713, Uttarakhand"

[F. No. 4(3)2015-Paper] SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1105 (E), dated the 11th October, 2004 and lastly amended vide number S.O. 447(E), dated the 9th February, 2016.